20 SEP 2011

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

14AA 062785

प्रारुप 26

46, कपकोट निर्वाचन क्षेत्र से

विधानसभा सदस्य के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

मैं ललित मोहन सिंह फर्स्वाण पुत्र स्व0 श्री बहादुर सिंह फर्स्वाण आयु 48 वर्ष, जो ग्राम टानीवित, पोस्ट बैजनाथ गरुड़, तहसील गरुड़, जनपद बागेश्वर, उत्तराखण्ड का निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ :–

1. मै, ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त नही हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए है।

प्ररूप 26

(नियम 4 क देखिए)

.........46 कपकोट.........निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

...विधानसभा.........(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

मैं ललित मोहन सिंह फस्वाण पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व.श्री बहादुर सिंह फस्वाण आयु.........40.........वर्ष, जो ग्राम-... पो. ... तह. गरुड़ जिला- बागेश्वर ......का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिक्षा करता हूँ/करती हूँ/ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :–

1– मै, ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दडंनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नही हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए है।

(यदि अभिशासी ऐसे किसी अपराध/अपराधों का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी।)

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्यांए.........×.........

(ii) पुलिस थाना (थाने).........×.........जिला (जिले).........×.........राज्य.........×.........

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है.........×.........

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई.........×.........

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/ किए गए थे.........×.........

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं.........×.........

2– मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्दोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्दोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिर्पोट संख्या/संख्याएं.........×.........

(ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है.........×.........

(iii) पुलिस थाना (थाने).........×.........जिला (जिले).........×.........राज्य.........×.........

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है.........×.........

(v) तारीख (तारीखें) जिनकों दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे.........×.........

(vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए है.........×.........

NOTARY

स्थान– कपकोट

तारीख– 11|1|2012

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मै, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गई है।

कपकोट स्थान पर आज तारीख 11/11/2012 को सत्यापित किया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणीः इस प्ररूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिए जाएं।